



IS15700:2005 Cft No.SQ/L-6000140

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE



आयुक्त सीमाशुल्क का कार्यालय, चेन्नई - II OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CHENNAI-II
सीमाशुल्क गृह, 60, राजाजी सालै, चेन्नई - 600001 CUSTOMS HOUSE, 60, RAJAJI SALAI, CHENNAI - 600001
दूरभाष: 044 25230371, 044 25267778 Phone: 044 25230371, Fax: 044 25267778

सार्वजनिक सूचना सं. /2017

PUBLIC NOTICE NO. 92 /2017

Sub : Customs (Settlement of Cases) Amendment Rules, 2017

आयातक, निकासी अभिकर्ता तथा व्यापारियों के मार्ग दर्शन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की पत्र फा.सं 275/36/2016-CX.8A (Pt.I), द्वारा दि 12-04-2017 को जारी अधिसूचना सं. 37/2017-सी.शु.(एन.टी.) को एतद्वारा संलग्न किया जाता है। यह वेबसाइट www.cbec.gov.in में भी उपलब्ध है।

Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Notification No. 37/2017-Customs (N.T) dated 12.04.2017 issue from the File No. 275/36/2016-CX.8A (Pt.I), is enclosed herewith for the guidance of the Importers, Clearing Agents and the Trading Public. The same is also available in the website www.cbec.gov.in.

Vaidehi Nelson
(Vaidehi Nelson)

Asst. COMMISSIONER OF CUSTOMS (APPG. MAIN)

सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (मूल्यांकन प्रमुख)

फा.सं.एस विविध.02/2017-मू.प्र.

F.NO.S.Misc.02/2017-Appg. Main

मूल्यांकन प्रमुख/Appraising Main,

सीमा शुल्क भवन, चेन्नई-1./Custom House, Chennai-1.

दिनांक/Dated: 27-04-2017

प्रति/To All concerned

प्रतिलिपि/Copy to: System Unit- for Publishing in Website / Intranet.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification

No. 37/2017-CUSTOMS (N.T.)

New Delhi, dated the 12th April, 2017

G.S.R. (E). -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 read with section 127B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs (Settlement of Cases) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Customs (Settlement of Cases) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs (Settlement of Cases) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules):-
 - (i) in rule 2 in clause (b), after the word, letters, brackets and figure, "Form SC (C)-1", the words, letters, brackets and figures "or Form SC (C)-2" shall be inserted;
 - (ii) in rule 3 of the said rules,-
 - (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) An application under sub-section (5) of section 127B shall be made in Form SC (C) -2.":-
 - (b) in sub-rule (3), after the word, letters, brackets and figure, "Form SC (C) -1", the words, letters, brackets and figure "or Form SC (C) -2, as the case may be" shall be inserted.
 - (iii) for rule 4 of the said rules, the following shall be substituted namely:-

"4. Disclosure of information in the application for settlement of cases.--The Settlement Commission shall, while calling for a report from the Commissioner of Customs under sub-section (3) of section 127C, forward a copy of the application referred to in sub-rule (1) or sub-rule (1A) of rule 3, as the case may be, to the Commissioner of Customs along with the annexure and the statements and other documents accompanying such annexure to the application."

(F.No.275/36/2016-CX.8A (Pt.I))

(Y.S. Karoo)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 393 (e), dated the 28th May, 2007 *vide* notification no.54/2007-Cus. (N.T.), dated 28th May, 2007.

Form No.SC (C)– 2
[under sub-rule (1A) of rule 3 of the Customs (Settlement of Cases) Rules, 2007]
Before the Customs and Central Excise Settlement Commission

Bench at _____
Form of application for settlement of a case of person under sub-section (5) of section
127B of the Act

1.	Full name of the Person	
2.	(i) Postal address of the person (ii) E-mail address of the Person, if any	
3.	(i) Address for communication (ii) Telephone No.	
4.	(i) Permanent Account No. (ii) IEC No. (if any) (iii) Status (<i>see note 2</i>)	
5.	(i) Commissioner of Customs having jurisdiction over the person (ii) Postal address of the Commissioner of Customs having jurisdiction over the person	
6.	Details of Show Cause Notice issued to the person (a) Show Cause Notice No. and date (b) Period of dispute in the notice (c) Duty demanded in the notice (in Rs.) (d) Name of the noticee in the Show Cause Notice from when the duty is demanded (e) Whether the case of noticee from whom the duty is demanded, has been settled by the Commission or application is pending for settlement before the Commission. If yes, please provide the status and details of that application. (f) Dispute in connection with which the application for settlement is made. (g) Adjudicating authority before whom (h) (i) the notice of any person is pending adjudication.	
7.	Brief facts of the case and particulars of the issues to be settled	

Signature of the Person

Verification

I son/daughter of residing at do solemnly declare that I am making this application in my capacity as, and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true and that I have not filed any application for settlement of the provisions of the Chapter XIVA of the Customs Act, 1962 before the Settlement Commission and also that no information relevant to the facts of the case has been suppressed. Annexures of the documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transactions are correct and are duly attested by me.

That no proceeding in respect of the case for which settlement is being sought, is pending before Commissioner (Appeals), Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or the courts, as the case may be, or has been remanded back to the adjudicating authority by the said appellate authorities/courts.

Verified today the day of (mention the month and year) (mention the place)

Deponent

Note:

1. The application fee should be credited in a branch of the authorized bank or a branch of the State Bank of India or a branch of Reserve Bank of India and the triplicate copy of the challan sent to the Settlement Commission with application. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.
2. Please state whether individual, Hindu undivided family, company, firm, an association of persons, etc.

Annexure

Statement containing particulars, referred to in item 7 of the application made under sub-section (5) of section 127B of the Customs Act, 1962.

1. Full and true disclosure of the facts regarding the issues to be settled including the terms of settlement sought for by the applicant.

Signature of the Person

Place :

Date :

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 37/2017-सीमाशुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, , 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 127 (ख) के साथ पठित धारा 156 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में:-

(i) नियम 2 के, खंड (ख) में, "प्रपत्र एससी (सी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (सी)-2" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उक्त नियमों के नियम 3 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) धारा 127(ख) की उपधारा (5) के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र प्रपत्र एससी (सी)-2 में किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (3) के, "प्रपत्र एससी (सी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (सी)-2", यथास्थिति, शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. मामलों के निपटान के लिए आवेदन में सूचना का प्रकटीकरण – निपटान आयोग, उक्त धारा 127ग की उपधारा (3) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त से रिपोर्ट मंगाते समय, नियम 3 के उप-नियम (1) में या उप-नियम (1क), जैसा भी मामला हो, में निर्देशित आवेदन पत्र की प्रति के साथ संलग्न सभी उपाबंधों और विवरणों तथा अन्य दस्तावेजों, जो ऐसे उपाबंधों के साथ संलग्न हों, सीमाशुल्क आयुक्त को अद्योषित करेगा।"

[फाइल सं. 275/36/2016-सीएक्स.8ए(पीटी).।]

()

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 393(अ), तारीख 28 मई, 2007, अधिसूचना संख्यांक 544/2007-सीयूएस.(एन.टी), तारीख 28 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

फार्म सं. एससी (सी)-2

[सीमाशुल्क नियमावली (मामलों का निपटान) नियमावली, 2007 के नियम-3 के उपनियम(1 क) के अन्तर्गत]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग के समक्ष

स्थित बैंच

अधिनियम की धारा 127ब की उपधारा (5) के अन्तर्गत एक व्यक्ति के केस के समाधान के लिए आवेदन फार्म

1.	व्यक्ति का पूरा नाम	
2.	(i) व्यक्ति का डाक पता (ii) व्यक्ति का ई-मेल पता, यदि कोई हो	
3.	(i) संप्रेषण के लिए पता (ii) दूरभाष संख्या	
4.	(i) स्थायी खाता संख्या (ii) आईईसी संख्या (यदि कोई है) (iii) स्थिति (नोट - 2 देखें)	
5.	(i) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क आयुक्त (ii) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क आयुक्त का डाक पता	
6.	आवेदक को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे (क) कारण बताओ नोटिस संख्या तथा तारीख (ख) नोटिस में विवाद की अवधि (ग) नोटिस में आवेदक से मांगा गया शुल्क (रूप में) (घ) कारण बताओ नोटिस में नोटिस दिने वाले का नाम जिससे शुल्क की मांग की गई है। (ङ.) क्या उस आवेदक का केस जिससे शुल्क की मांग की गई है , को आयोग द्वारा निपटान किया गया है अथवा आवेदक का आवेदन आयोग के समक्ष लंबित रहा है। यदि हां , तो कृपया निपटान के लिए उस आवेदन की स्थिति तथा ब्यौरे प्रदान करें। (च) वह विवाद जिसके संबंध में निपटान के लिए आवेदन किया गया है। (छ) न्याय निर्णयन प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी व्यक्ति का नोटिस न्याय निर्णयन के लिए लंबित रहा है।	
7.	मामले के संक्षिप्त तथ्य तथा निपटान किये जाने वाले मामलों के ब्यौरे	

व्यक्ति का हस्ताक्षर

सत्यापन

में..... सुपुत्र/सुपुत्री निवासी..... सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि
में क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं तथा मैं इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।

यह कि इस आवेदन की विषय वस्तु सही है तथा यह कि समझौता आयोग के समक्ष सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय XIV के उपबंधों के निपटान हेतु मैंने कोई आवेदन दायर नहीं किया है तथा यह भी कि इस मामले के तथ्यों के संगत कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुबंध मूल की असली प्रतियां हैं तथा वित्तीय संव्यवहार दर्शाने वाली तालिकाएं सही हैं तथा मेरे द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

यह कि जिस मामले के संबंध में निपटान की मांग की गई है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही आयुक्त (अपील), सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित नहीं है अथवा उक्त अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को वापिस नहीं भेजी गई हैं।

आज (स्थान लिखें) में (माह एवं वर्ष लिखें) के दिनांक सत्यापित।

अभिसाक्षी

टिप्पण :

1. आवेदन की फीस प्राधिकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा कराई जानी चाहिए तथा चालान की तृतीय प्रति आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजी जाएं समझौता आयोग चेक , ड्राफ्ट, हुंडियां अथवा अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।
2. कृपया बताएं क्या व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संघ आदि है।

अनुबंध

आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 127 ख की उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन के मद 7 में संदर्भित ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

2. आवेदक द्वारा मांगे गए निपटान निबंधन सहित निपटाए जाने वाले मामलों से संबंधित तथ्यों का संपूर्ण एवं असली प्रकटन।

हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :